

मु० न०:- 117/2024

तारीखरजू:- 4/10/24

उनवान:- भूरसिंह आदि बनाम खिलाडी वगै०
दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक

फर्द अहकाम

4/10/24

वादी की ओर से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार टोडाभीम एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 30.10.2024 को पेश हो।

6375-81
4/10/24

(पूजा मीना)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

30/10/24

पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से कार्य समाप्त
रह गया है। पीठासन अधिकारी.....
है। गतानुसार दिनांक 30-10-24 को पेश हो

Not present

5-11-24

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी वकील
कोई उपस्थित नहीं आया। दिनांक के
दौरान वादी एवं वादी वकील उपस्थित हुए।
इस बाबत कथन किया की इस पक्षकाशण के
अन्वय राजीनामा हुआ है। इस दिने
को आगे नहीं चलाना चाहिए है। इसलिये
वादी का ठहरा हुआ दावा तकास्मा एवं
स्थायी निषेधाज्ञा नोटिस से खारिज
किया जा रहा है। पत्रावली फंदासुआ
हुए नमक से कम कर डालिए हुए
है।

Not present
d) 31-10-24

